फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

नाम न्यायालय

केस संख्या . रेफ. 03/2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	26.6.18	पत्रावली पेश हुई आवाज दिलाई गई। राजकीय अभिभाषक उप0 अप्रार्थीगण अनुपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की राय से माननीय राजस्व मण्डल राज0, अजमेर को भेजे जाने के आदेश दिये जाते हैं। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रार्थी रा0 राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में दिनांक 28.8.18 को प्रातः 10 बजे उपस्थित हो। नियत दिनांक से पूर्व पत्रावली भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर होकर दा0 दफ्तर हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 03/2016

सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. लादूराम पुत्र धासीराम, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–मूण्डियारामसर, तहसील–जयपुर।
   - 1/1 बद्रीनारायण पुत्र लादूराम, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–मूण्डियारामसर, जयपुर।
   - 1/2 प्रभाती देवी पत्नी रामेश्वर प्रसाद, पुत्री लादूराम, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम गोविन्दगढ (डाकधर के पास) तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
   - 1/3 महेन्द्र कुमार पुत्र हनुमानसहाय, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–मूण्डियारामसर।
   - 1/4 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र हनुमानसहाय, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–मूण्डियारामसर।
   - 1/5 ओमप्रकाश पुत्र हनुमानसहाय, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–मूण्डियारामसर।
   - 1/6 मोहनलाल पुत्र हनुमानसहाय, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–मूण्डियारामसर।
   - 1/7 कमला पत्नी महेश कुमार, पुत्री हनुमानसहाय, जाति–ब्राहम्ण, ग्राम वाटिका, तहसील–सांगानेर, जयपुर।
   - 1/8 शकुन्तला देवी पत्नी स्व0 रामस्वरूप, पुत्री हनुमानसहाय, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–प्रधानो की ढाणी, पो0 नाथावाला, तहसील–शाहपुरा, जिला–जयपुर।
   - 1/9 उर्मिला देवी पत्नी रामगोपाल, पुत्री हनुमानसहाय, जाति–ब्राहम्ण, नि0–लोकन्डो की ढाणी, ग्रा0पो0 बगरू कलां, तहसील–सांगानेर, जयपुर।
2. रूपनारायण पुत्र हरबक्श, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–मूण्डियारामसर, तहसील–जयपुर।
3. मंगल पुत्र भूरा जाट, जाति–जाट, निवासी–मूण्डियारामसर, तहसील–जयपुर।
4. कल्याण पुत्र भूरा जाट, जाति–जाट, निवासी–मूण्डियारामसर, तहसील–जयपुर।
5. मोतीराम पुत्र धन्नाराम, जाति–जाट, निवासी–मूण्डियारामसर, तहसील–जयपुर।
6. जीवनराम पुत्र धन्नाराम, जाति–जाट, निवासी–मूण्डियारामसर, तहसील–जयपुर।
7. आशाराम पुत्र भोमाराम, जाति–जाट, निवासी–मूण्डियारामसर, तहसील–जयपुर।
8. जगन्नाथ पुत्र भोमाराम, जाति–जाट, निवासी–मूण्डियारामसर, तहसील–जयपुर।
9. हरबक्श पुत्र भूराराम, जाति–जाट, निवासी–मूण्डियारामसर, तहसील–जयपुर।
10. नाथूलाल पुत्र भूराराम, जाति–जाट, निवासी–मूण्डियारामसर, तहसील–जयपुर।
11. रामप्यारी पत्नी रामेश्वर, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–मूण्डियारामसर, तहसील–जयपुर।
12. श्रीनिवास पुत्र रामेश्वर, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–मूण्डियारामसर, तहसील–जयपुर।
13. बृजमोहन पुत्र रामेश्वर, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–मूण्डियारामसर, तहसील–जयपुर।
14. हरीशंकर पुत्र रामेश्वर, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–मूण्डियारामसर, तहसील–जयपुर।
15. बाबूलाल पुत्र रामेश्वर, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–मूण्डियारामसर, तहसील–जयपुर।
16. ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–मूण्डियारामसर, तहसील–जयपुर।
17. श्यामसुन्दर पुत्र रामानन्द, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–मूण्डियारामसर, तहसील–जयपुर।
18. मदनलाल पुत्र रामानन्द, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–मूण्डियारामसर, तहसील–जयपुर।
19. [illegible]लाल पुत्र रूपनारायण, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–मूण्डियारामसर, तहसील–जयपुर।

अप्रार्थीगण

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति :–

1. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय दिनांक : **26.06.2018**

तहसीलदार, जयपुर द्वारा यह निवेदन किया गया हैं कि ग्राम–चक राजसर की आराजी खसरा नं0 21 रकबा 07 बीधा व आ0ख0नं0 30 रकबा 6 बीघा भूमि माफी मन्दिर श्रीराम चन्दरजी एतमाम पुजारी लादूराम वल्द घासीराम ।।) रूपनारायण वल्द हरबक्ष ।।) कौम ब्राहम्ण हि. बराबर सा. मूण्डियारामसर खुदकाश्त माफीदार मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में दर्ज थी जो कालान्तर में बिना किसी वैध आदेश के माफी मन्दिर श्रीराम चन्दरजी एतमाम पुजारी लादूराम वल्द घासीराम ।।) रूपनारायण वल्द हरबक्ष।।) कौम ब्राहम्ण हि. बराबर सा. मूण्डियारामसर खुदकाश्त माफीदार की बजाय मंगल,कल्याण पि0 भूरा, मोतीराम,जीवनराम पि0 धन्नाराम, आशाराम,जगन्नाथ पि0 भोमाराम, हरबक्श,नाथूलाल पि0 भूराराम, जाति–जाट, रामप्यारी पत्नी स्व0 रामेश्वर, श्रीनिवास,बृजमोहन,हरीशंकर,बाबूलाल,ओमप्रकाश पि0 रामेश्वर, जाति–ब्राहम्ण, श्यामसुन्दर,मदनलाल पि0 रामानन्द, माधोलाल पुत्र रूपनारायण, जाति– ब्राहम्ण, निवासी–मूण्डियारामसर, तहसील–जयपुर के नाम दर्ज हो गई जो पुनः माफी मन्दिर श्रीराम चन्दरजी खुदकाश्त के नाम दर्ज की जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी के फौतगी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कायमी–मुकामान को रिकार्ड पर लिया गया। नोटिस जारी किये गये बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर ने रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 के कॉलम सं0 04 नाम उपभोक्ता पिता का नाम जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर श्रीराम चन्दरजी एतमाम पुजारी लादूराम वल्द घासीराम ।।) रूपनारायण वल्द हरबक्ष ।।) कौम ब्राहम्ण हि. बराबर सा. मूण्डियारामसर खुदकाश्त माफीदार व कॉलम सं0 05 नाम कृषक पिता का नाम जाति व निवास स्थान श्रेणी कृषक व कृषि काल में खुदकाश्त माफीदार दर्ज थी जो बिना किसी वैध आदेश के अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये अप्रार्थी मंगल,कल्याण पि0 भूरा, मोतीराम,जीवनराम पि0 धन्नाराम, आशाराम,

जगन्नाथ पि0 भोमाराम, हरबक्श,नाथूलाल पि0 भूराराम, जाति–जाट, रामप्यारी पत्नी स्व0 रामेश्वर, श्रीनिवास,बृजमोहन,हरीशंकर,बाबूलाल,ओमप्रकाश पि0 रामेश्वर, जाति–ब्राहम्ण, श्यामसुन्दर,मदनलाल पि0 रामानन्द, माधोलाल पुत्र रूपनारायण, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–मूण्डियारामसर, तहसील–जयपुर के नाम हस्तानान्तरित कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज कर दिया गया जो अनुचित हैं बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया हस्तानान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। अतः विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर श्रीराम चन्दरजी साकिन देह खुदकाश्त माफीदार के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

हमने विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2015–2034 में माफी मन्दिर श्रीराम चन्दरजी एतमाम पुजारी लादूराम वल्द घासीराम ।।) रूपनारायण वल्द हरबक्क्ष ।।) कौम ब्राहम्ण हि. बराबर सा. मूण्डियारामसर खुदकाश्त माफीदार दर्ज हैं और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता हैं। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। देवमूर्ति की आराजी पर यदि पुजारी द्वारा भी काश्त की गई है तो भी खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाबिज भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। माफी मन्दिर श्रीराम चन्दरजी एतमाम पुजारी लादूराम वल्द घासीराम ।।) रूपनारायण वल्द हरबक्क्ष ।।) कौम ब्राहम्ण हि. बराबर सा. मूण्डियारामसर खुदकाश्त माफीदार की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा–काश्त भी की गई हैं तो वह मूर्ति का कब्जा–कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रश्नगत् प्रकरण में तो स्पष्ट रूप से वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्रीराम चन्दरजी खुदकाश्त माफीदार दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में किसी काबिज–काश्तकार की प्रविष्टि को अन्यथा रूप से दोहराने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। इस प्रकार नियमों के विपरित माफी मन्दिर श्रीराम चन्दरजी सा. मूण्डियारामसर खुदकाश्त माफीदार खुदकाश्त की भूमि का इन्द्राज विभिन्न प्रविष्टियों के

21

परिणामस्वरूप जनाबन्दी सम्वत् **2049–2052** में निजी खातेदारी अप्रार्थी मंगल,कल्याण पि0 भूरा, मोतीराम,जीवनराम पि0 धन्नाराम, आशाराम,जगन्नाथ पि0 भोमाराम, हरबक्श, नाथूलाल पि0 भूराराम, जाति–जाट, रामप्यारी पत्नी स्व0 रामेश्वर, श्रीनिवास, बृजमोहन, हरीशंकर,बाबूलाल,ओमप्रकाश पि0 रामेश्वर, जाति–ब्राहम्ण, श्यामसुन्दर, मदनलाल पि0 रामानन्द, माधोलाल पुत्र रूपनारायण, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–मूण्डियारामसर, तहसील –जयपुर के नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये किया गया इन्द्राज तथा पश्चात्वर्ती इन्द्राज प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक हैं ऐसी स्थिति में इन इन्द्राजों को निरस्त कर उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर श्रीराम चन्दरजी वाके देह खुदकाश्त माफीदार के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकार को मा0 राजस्व मण्डल राज0, अजमेर में दिनांक 28.08.2018 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया ।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

26/6/18

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर